जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

(नवीन जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर), निम्बाहेड़ा रोड, चित्तौड़गढ़

दूरभाष संख्या :– 01472–294210 ई–मेल :– dlsa10chittorgarh@gmail.com

क्रमांक / किराया वाहन / 2021 / 1890 दिनांक :– 19 / 06 / 2021

–::कोटेशन हेतु अनुरोध::–

इस कार्यालय को मासिक दर पर दिनांक 31.03.2022 तक के लिए **एक बोलेरो, स्कॉर्पियो, अरमाडा अथवा इनके समकक्ष वाहन (टेक्सी परमिट)** की आवश्यकता है। इस हेतु पंजीकृत फर्म / वाहन मालिकों से बंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित किये जाते है। कोटेशन प्रपत्र दिनांक 25 / 06 / 2021 को प्रातः 10:00 बजे तक प्राप्त किये जाकर उसी दिन समय दोपहर 12:30 बजे उपस्थित कोटेशन दाताओं एवं कमेटी के सदस्यों के समक्ष खोले जायेंगे।

कोटेशन हेतु मुख्य शर्तेः–

1. कोटेशन दाता को सील बंद लिफाफे में किराये पर वाहन हेतु कोटेशन लिखकर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ को प्रस्तुत करना होगा। लिफाफे के कोने पर कोटेशनदाता अपना पूर्ण पता मोबाइल नम्बर सहित अवश्य लिखे।
2. बोलेरो, स्कॉर्पियो, अरमाडा अथवा इनके समकक्ष वाहन टेक्सी परमिट ही होना चाहिए एवं वाहन का मॉडल 2018 से पुराना नहीं होना चाहिए।
3. वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र / टैक्स जमा प्रमाण पत्र / फिटनेस प्रमाण पत्र तथा प्रथम पार्टी वाहन का बीमा, पेन नम्बर प्रमाण पत्र आदि की फोटो प्रतियां कोटेशन के साथ संलग्न होना चाहिये।
4. समस्त प्रकार के कर एवं खर्चे (टोल टैक्स को छोडकर) स्वयं कोटेशन दाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
5. टोल टैक्स का यदि भुगतान किया जाता है कि कोटेशनदाता को इसका भुगतान विभाग को प्रस्तुत किये जाने बिल के साथ रसीद संलग्न करने पर किया जायेगा।
6. वाहन किराये की दर प्रतिमाह 2000 किमी तक परिचालन पर एक मुश्त एवं 2000 किमी से अधिक परिचालन पर प्रति किमी के हिसाब से प्रस्तुत करनी होगी।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चित्तौड़गढ़ (राज.)

7. प्रतिमाह 2000 किलोमीटर परिचालन के किराये का अधिकतम भुगतान 31,350/– रूपये होगा। 2000 किलोमीटर से अधिक से वाहन परिचालन पर अधिकतम 10 रूपये प्रति किलोमीटर की दर से वाहन किराया भुगतान किया जायेगा।

8. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुख्यालय से बाहर किसी अन्य स्थान पर रात्रि विश्राम होने की स्थिति में कोटेशनदाता को वाहन चालक के लिए 300/– रूपये प्रति रात्रि विश्राम के अनुसार भुगतान देय होगा।

9. वाहन के ड्राईवर को कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गई लागशीट को नियमित रूप से भरना होगा। वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा लॉग बुक एवं बिल पर कार्य प्रमाणित करने के पश्चात् ही भुगतान किया जायेगा।

10. वाहन किराये की राशि का भुगतान नियमानुसार आयकर, सर्विस टैक्स अथवा अन्य कर जो सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से दायी हो कि कटौती करने के पश्चात ही किया जायेगा।

11. वित्तीय वर्ष 2021–2022 में होने वाले अनुमानित व्यय के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति कार्यालय में जमा करानी होगी। प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा।

12. सफल कोटेशनदाता को नियमानुसार नॉन–ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध का निष्पादन करना होगा।

13. वाहन का उपयोग जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चित्तौड़गढ़ के कार्यक्षेत्र में किया जायेगा।

14. दरें अंकों एवं शब्दों में लिखी जावे। कोई शुद्धि करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जाकर उस पर दिनांक सहित लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

15- कोटेशनदाता उसका स्वीकृत कार्य को किसी अन्य व्यक्ति या एजेन्सी को नहीं देगा। ऐसा पाये जाने पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़ के पास सुरक्षित होगा।

16- राजकीय दौरे के दौरान वाहन खराब हो जाता है कि वैकल्पिक टैक्सी परमिट वाहन कोटेशनदाता को उपलब्ध कराना होगा।

17- कोटेशनदाता द्वारा वैकल्पिक वाहन उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में कोटेशनदाता की रिस्क पर विभाग द्वारा दूसरा वाहन मंगवाया जा सकेगा तथा किराये के अन्तर की राशि कोटेशनदाता से वसूल की जायेगी। साथ ही राशि 2000/–अक्षरे दो हजार रूपये की पैनल्टी भी वाहन स्वामी पर लगाई जायेगी।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चित्तौड़गढ़ (राज.)

18- वाहन चालक को कम से कम 5 वर्ष का अनुभव, वैद्य लाईसेंसधारी एवं उसकी उम्र 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी। वाहन चालक समस्त कागजात सदैव अपने पास रखेगा। ड्यूटी के दौरान नशे की हालत में नहीं होगा। वाहन चालक का विभाग के अधिकारियों के प्रति व्यवहार मर्यादापूर्ण होगा।

19- वाहन चालक की किसी कारणवश मृत्यू हो जाती है या अन्य किसी रूप में दुर्घटनाग्रस्त/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का भार कोटेशनदाता द्वारा ही वहन किया जायेगा। विभाग इसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

20- वाहन सही हालत में उपलब्ध कराया जायेगा, वाहन सर्विसिंग इत्यादि समय पर कोटेशनदाता द्वारा कराई जायेगी।

21- विभाग न्यूनतम दर वाले कोटेशन को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा कोटेशन या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये रदद् करने का पूर्ण अधिकार सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़ को होगा।

22- सेवाएं संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में कार्य सम्पादन प्रतिभूति जब्त की जाकर अनुबंध समाप्त करने का अधिकार विभाग को होगा।

23- लॉग शीट भरने के लिए उपस्थिति बिन्दु (सामान्यतः कार्यालय) को शून्य बिन्दु माना जायेगा। वाहन के खडे रहने के बिन्दु (यदि अपवाद स्वरूप परिस्थितियों में कार्यालय से भिन्न है) से उपस्थिति बिन्दु तक की यात्रा कार्यालय की यात्रा नहीं मानी जायेगी। इसी तरह लॉग शीट के उद्देश्य से वाहन मुक्त करने (सामान्यतः कार्यालय) के बिन्दु को अंतिम पठन माना जायेगा और कार्यालय से वाहन खडे करने के स्थान तक की यात्रा को न तो कार्यालय की यात्रा माना जायेगा और न हीं इसके लिए विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा। वाहन कार्यालय समय पश्चात् प्रतिदिन सचिव निवास/कार्यालय में ही खड़ा रखा जावेगा।

24- इस कोटेशन की अवधि आदेशिक दिनांक से 31.03.2022 तक मान्य होगी जिसे आपसी सहमति से नियमानुसार आगे बढाया जा सकेगा।

25- स्वीकृत कोटेशन की अवधि का अंकेक्षण के दौरान यदि अंकेक्षण दल द्वारा आपके विरूद्ध किसी तरह की बाकियात निकाली जाती है तो उसे जमा कराने हेतु बाध्य रहेंगे।

26- सशर्त कोटेशन मान्य नहीं होगा।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
चित्तौड़गढ़ (राज.)

27- वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम वाहन स्वामी को लगवाकर देना होगा। खराब होने की स्थिति में भी वाहन स्वामी को ही दुरूस्त करवाया जायेगा।

(अध्यक्ष, समिति)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक / किराया वाहन / 2021 / 1891-1894 दिनांक :– 19 / 06 / 2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

फर्म / श्री ....

नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय चित्तौड़गढ / कार्यालय हाजा / जिला कलक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड

(अध्यक्ष, समिति)
सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालयः– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौडगढ (राज0)

****

किराये के वाहन हेतु कोटेशन

फर्म / मालिक का नाम ....

डाक का पूरा पता (मोबाइल नम्बर सहित) ....
....

पैन नम्बर (प्रति संलग्न करें) ....

वाहन का मेक / मॉडल (दस्तावेज की प्रति संलग्न करें) ....

वाहन का टेक्सी नं. (दस्तावेज संलग्न करें) ....

किराये के वाहन हेतु आप द्वारा कोटेशन हेतु निर्धारित शर्तो पर मैं / हम निम्नलिखित दरों पर वाहन उपलब्ध कराने पर सहमत है।

वाहन का विवरण जीप / कार	**दूरी**	**दर प्रतिमाह / प्रति किमी.**
	A-2000 किमी. तक प्रतिमाह B- उसके पश्चात प्रति किमी.	प्रति माह .... प्रति माह ....

दिनांक :–

कोटेशन दाता के हस्ताक्षर